दिनांकः 01.01.2019

आदेश

अभियुक्त मौ0 शाकिर की ओर से आज मु0अ0सं0–292/18, धारा–21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना जी0आर0पी0 बरेली जंक्शन बरेली प्रकरण में यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 5 ग्राम डायजापाम पाऊडर बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त का कथन है कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांकः 15.12.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु0 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, बरेली।